रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, सितम्बर 2—सितम्बर 8, 2018, शनिवार/भाद्र 11—भाद्र 17, 1940
No. 35] NEW DELHI, SEPTEMBER 2—SEPTEMBER 8, 2018, SATURDAY/BHADRA 11—BHADRA 17, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

का.आ. 1323.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री सतीश काशीनाथ मराठे (जन्म तिथि: 1.2.1950) को उन्हें नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 1/14/2016-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 7th August, 2018

S.O.1323.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Satish Kashinath Marathe (DOB: 1.2.1950) as part-time non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his nomination, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 1/14/2016-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

का.आ. 1324.— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति (जन्म तिथि: 4.3.1949) को उन्हें नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 1/1/2018-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 7th August, 2018

S.O. 1324.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Swaminathan Gurumurthy (DOB: 4.3.1949) as part-time non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a period of four years from the date of notification of his nomination, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 1/1/2018-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2018

का.आ. 1325.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 9 के उप-पैरा (2) के खंड (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री गोपालरमण पद्मनाभन (जन्म तिथि: 29.5.1955) को दिनांक 14.8.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुन: नामित करती है और बैंक के बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति को उक्त अवधि तक बढ़ाती है।

[फा.सं. 8/4/2018-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 2018

S.O. 1325.—In exercise of powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with clause (b) of sub-paragraph (2) of paragraph 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby re-nominates Shri Gopalaraman Padmanabhan (DoB: 29.5.1955) as part-time non-official Director on the Board of Directors of Bank of India for a term of two years with effect from 14.8.2018, or until further orders, whichever is earlier, and extends his appointment as non-executive Chairman of the bank's Board for the said period.

[F. No. 8/4/2018-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2018

का.आ. 1326.— राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 9 के उप-पैरा (2) के खंड (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री थोथला नारायणसामी मनोहरण (जन्म तिथि: 7.4.1956) को दिनांक 14.8.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुन: नामित करती है और बैंक के बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति को उक्त अवधि तक बढ़ाती है।

[फा.सं. 8/4/2018-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 2018

S.O. 1326.— In exercise of powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with clause (b) of sub-paragraph (2) of paragraph 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby re-nominates Shri Thothala Narayanasamy Manoharan (DoB: 7.4.1956) as part-time non-official Director on the Board of Directors of Canara Bank for a term of two years with effect from 14.8.2018, or until further orders, whichever is earlier, and extends his appointment as non-executive Chairman of the bank's Board for the said period.

[F. No. 8/4/2018-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2018

का.आ. 1327.— यत: सुश्री ऊषा अनंतसुब्रमणियन को दिनांक 5.5.2017 की अधिसूचना के द्वारा पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, दिनांक 13.8.2018 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था;

और यत: सुश्री अनंतसुब्रमणियन को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (4) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 3.7.2018 के पत्र के द्वारा कारण बताने का अवसर दिया गया था कि क्यों न उन्हें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रहते हुए पंजाब नैशनल बैंक के कार्यकरण पर समुचित नियंत्रण रखने में असफल रहने के लिए पद से हटा दिया जाए, जिसके कारण बैंक की ब्रैडी हाऊस शाखा, मुम्बई में एसडब्ल्यूआईएफटी (स्विफ्ट) का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी की गई, जिनका कई वर्षों तक पता नहीं चल सका, जिससे बड़ी राशि की धोखाधड़ी हुई;

और यत: इलाहाबाद बैंक के बोर्ड से भी उक्त उप-पैरा (4) के उपबंधों के संदर्भ में परामर्श किया गया था;

और यत: कारण बताओ नोटिस के संबंध में सुश्री अनंतसुब्रमणियन के उत्तर सहित मामले और इलाहाबाद बैंक के बोर्ड की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर सुश्री अनंतसुब्रमणियन के बने रहने पर विचार पंजाब नैशनल बैंक में उनकी उक्त असफलता के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है, केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट है कि उन्हें उक्त पद से हटाना इलाहाबाद बैंक के हित में समयोचित है;

अत: अब बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (4) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इससे संतुष्ट होने पर कि सुश्री अनंतसुब्रमणियन को इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी के पद से हटाना इलाहाबाद बैंक के हित में समयोचित है, उन्हें, एतद्द्वारा, इस पद से तत्काल हटाती है।

[फा.सं. 16/13/2018-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 2018

S.O. 1327.— Whereas Ms. Usha Ananthasubramanian was appointed as Managing Director and Chief Executive Officer, Allahabad Bank, *vide* notification dated 5.5.2017, with effect from the date of her taking over charge of the post, and up to 13.8.2018, or until further orders, whichever is earlier:

And whereas, Ms. Ananthasubramanian, was given opportunity in terms of the provisions of sub-paragraph (4) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, to show cause *vide* letter dated 3.7.2018 why she should not be removed from office for having failed in exercising proper control over the functioning of Punjab National Bank while serving as its Managing Director and Chief Executive Officer, which enabled the fraud in the bank through misuse of SWIFT at the bank's Brady House, Mumbai Branch to persist undetected for several years, snowballing into a large amount:

And whereas, the Board of Allahabad Bank was also consulted in terms of the provisions of sub-paragraph (4) *ibid.*:

And whereas, after considering the matter, including Ms. Anathasubramanian's reply to the show-cause notice and the comments of the Board of Allahabad Bank, and considering that Ms Ananthasubramanian's continuance in office as Managing Director and Chief Executive Officer, Allahabad Bank needs to be viewed in the context of her failure as aforesaid in Punjab National Bank, the Central Government is satisfied that it is expedient in the interests of Allahabad Bank to remove her from the said office:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provisions of sub-paragraph (4) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provision) Scheme, 1970, made by the Central Government in exercise of powers under section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby removes Ms. Usha Ananthasubramanian from the office of Managing Director and Chief Executive Officer of Allahabad Bank, with immediate effect, for the reason that it is satisfied that it is expedient in the interests of Allahabad Bank to so remove.

[F. No. 16/13/2018-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.